Online (2nd Phase) Special Counselling Extra 6th Round Revised Schedule-2024 eering & Other Courses (Except Pharmacy Course) -+-1

Engineering & Other	i i h and Other Slare/
LIGHTO	Uttar Pradesh and Other State
and the second states of	Uttal Fladest

(QUALIFIED Candidates of Ottal Fidue Date		
S.N.		05/09/2024 to 07/09/2024
1.	Counselling Activities 6th Round Choice Filling for QUALIFIED candidates of UP & Other	
	State (united	09/09/2024 to 11/09/2024
2. 3.	Online Fee Deposit for Seat Acceptance cum Counsening rec	
	(only for Seat Alloted candidates). 6th Round Document Verification at the district Help Centers	09/09/2024 to 11/09/2024
	(only for Seat Alloted candidates).	11/09/2024
5.	6th Round Admitted Seat Withdrawal Remaining Tution Fee Deposit in Allotted Institution	12/09/2024 to 15/09/2024
6.	Remaining Tution Fee Deposit in Allotted man	15/09/2024

Last Date of Admission as per AICTE Calender

- 1. काउन्सिलिंग के छठे चरण में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई०डी० एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करते हुए अध्ययन हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लागिन आई०डी० अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा
- परिषद के हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है। 2. काउन्सिलिंग के चौथे चरण वे अभ्यर्थी जो सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित नहीं करा पाये हैं अथवा वो अभ्यर्थी जिन्हें मुख्य एवं विशेष काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण तक सीट आवंटित नहीं हो सकी है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष काउन्सिलिंग के पाँचवें चरण तक काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पाये हैं वे छठे चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होगें।
- 3. काउन्सिलिंग का छठा चरण भी पूर्व चरणों की भांति आनलाइन होगा, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित अभ्यर्थियों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रतिभाग कर सकेंगे।
- 4. छठे चरण में अभ्यर्थियों को आवंटित सीट स्वतः फ्रीज होगी।
- 5. सत्र 2024–25 में प्रवेश आवंटन हेतु वर्तमान में संचालित डिप्लोमा इंजी0 एवं अन्य पाठ्यक्रमों की दिनांक 05.09.2024 से 11.09.2024 के मध्य निर्धारित छठें चरण की काउन्सिलिंग एवं अन्य आगामी चरण (फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) की काउन्सिलिंग द्वारा राजकीय, अनुदानित, पी०पी०पी० एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रचलित पाठ्यक्रमों में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु० 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु० 250 / – काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु० 3250 / – पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के उपरान्त सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराते हए अवशेष शिक्षण शुल्क आवंटित संस्था में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय जमा करना होगा।
- 6. अभ्यर्थी विशेष काउन्सिलिंग के छठे चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चून सकेंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने छठे चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, परन्तू निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराया है, का संस्था / पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं होगी। तदनुसार Withdrawal विकल्प चयन करने की स्थिति में यह धनराशि अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश हेतु जिस बैंक खाते से जमा/भुगतान की गयी है उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड की

92

जायेगी एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

- 7. आवंटित संस्था में प्रवेश लेने पर अवशेष शिक्षण शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स फीस एवं शिक्षण शुल्क की वापसी हेतु आनलाइन सीट Withdrawal के विकल्प का चयन कर सकेंगे। परिषद को प्राप्त सीट एक्सेपटेंस शुल्क की राशि परिषद द्वारा तथा अवशेष शिक्षण शुल्क की वापसी अभ्यर्थी की प्रवेशित संस्था के माध्यम से प्राप्त होगी।
- 8. काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु शासन / फीस एवं प्रवेश नियमन समिति, उ०प्र० द्वारा सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण संज्ञान में आने पर सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 9. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, जाति, आय निवास स्वाख्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। यदि अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्था / पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच कराने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जायेगी एवं ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 10.छठे चरण की काउन्सिलिंग से अभ्यर्थियों द्वारा संख्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संख्या के प्रधानाचार्य / निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एन0आई0सी0 के पोर्टल पर पी0आई0 (Participating Institute) रिर्पोटिंग दिनांक 12.09.2024 तक करना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित अभ्यार्थियों का प्रवेश एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा।
- 11.छठे चरण की काउन्सिलिंग के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में अन्तिम तिथि 15.09.2024 तक अथवा इससे पूर्व अनिवार्य रूप में रिर्पोटिंग (उपस्थिति) दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 12.ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–116 / 2023 / आई / 459155 / 2023–16–3099 / 12 / 2019 दिनांक 29.12.2023 एवं तद्सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश संख्या–99 / 2024 / 1919 / 2024 / 16–3099 / 12 / 2019 दिनांक 04.09. 2024 की व्यवस्था के अनुपालन में ऑनलाइन काउन्सिलिंग का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।